

गारीर
को इस
तामील
हिए

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इतिहासयत्स जज

26-3-21

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 22.03.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30-4-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 18-5 को पेश हो।

18-5-21

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-7-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 29-7 को पेश हो।

22-11-21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लेग अभियान 2021
केसप गाय सीडियास में पेश हुई अप्रार्थीगण
के सम्मन बाद तामील लेकर प्राप्त हुए जिसे
शा-पठ दिये गये। तदुपलक्षर माण्डल पत्रार
हल्का पत्रवारी द्वारा प्राप्त विपति को शा-पठ
क्रिया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
बाबर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फेल्ट सुमार
लेकर नम्बर से कर ही।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

संख्या :- 16/20 प्रा०पत्र

भारत सिंह मुतवन्ना शिवसिंह राजपूत निवासी - सिडियास तहसील मांडल -- प्रार्थी

1073
24-3-20

बनाम

जामना शो. सुरजमल गुर्जर निवासी - सिडियास तहसील मांडल (वर्ग 2A)
-- विपक्षीय गण,
(प्रखंडाधिकारी प्रा०पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 22-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा.ज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
दिन किया कि ग्राम... सिडियास ... पटवार हल्का... सिडियास ... तहसील मांडल/में उसके
ते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 1545, 1124, ... कुल किता 02
बा... 04 बीघा ... हेक्टेयर 09 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय गण के मध्य आराजी
दायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते
युक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28-2-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
धिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेश
है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
द्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... सिडियास
वार हल्का... सिडियास ... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1545, 1124
कुल किता 02 रकबा... 04 बीघा हेक्टेयर 09 बिस्वा

मि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक... अशवानपुरा ... को 500/-
पथे कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।
मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
बन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड, न्यायाधीश, भीलवाड़ा

तिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कर प्रस्तुत गाँवों के संग अभियान 2021
कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना

मांडल, न्यायाधीश, भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी, मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021